DR. L.M. SINGHVI: Mr. Chairman, Sir, will the hon. Minister explain the reasons why Jaipur has not been included or has been omitted from the list of stations especially gateways to India? Would he also explain as to why private entrepreneurs cannot be allowed to develop the routes between Ahmedabad and East Africa, South Africa?

SHRI ANANTH KUMAR: Mr. Chairman, Sir, the first part of his question does not arise out of the main question. But yet I will answer it. The main question is entirely on air-links between South Africa and India. To upgrade an airport into an international standard, there are certain criteria to be fulfilled. An airport has to be upgraded through terminal facilities, runway facilities, immigration and customs facilities, quarantine for the plants and so many other things. Therefore, that can be taken up once we get a proposal from the State Government.

Regarding allowing private airlines, there is no proposal before the Government of India to allow any domestic private operator for operating international flights.

MR. CHAIRMAN: Q. No. 583, Shrimati Malti Sharma. Absent. Q. No. 584.

*583. [*The Questioner (Shrimati Malti Sharma) was absent. For answer vide col.* 30 *infra.*]

Steps to Raise Standard of News

*584. SHRI RAM NATH KOVIND: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) what steps Government media has so far taken/are being taken for projecting the national and international news and its performance vis-a-vis other news agencies; and

(b) the details of steps taken by Government and measures being contemplated to bring professionalism in the news media and raise it to international level?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): (a) and (b) A statement is laid on the table of House.

Statement

(a) and (b) Doordarshan and All India Radio function under the autonomous Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) and such matters are entirely within the purview of Prasar Bharati and are not decided upon by the Government. However, Prasar Bharati endeavours to upgrade its standards to international levels and this is a continuous process. As far as official Media Units like Press Information Bureau, Directorate of Advertising and Visual Publicity, Directorate of Field Publicity are concerned, continuous efforts are made to train and upgrade their professional skills and acquire proficiency in modern communication equipment for gathering and dissemination of information.

श्री राम नाथ कोविन्द: सभापति महोदय, आज अपराध, हिंसा, सेक्स और व्यक्ति आधारित, राजनीतिक घटनाओं का अधिक मात्रा में उल्लेख होता है। ऐसे नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण पाठकों, रेडियो और दूरदर्शन के दर्शकों को यह लगने लगता है कि देश में सभी जगह भ्रम, अशान्ति और हिंसा का वातावरण पैदा हो गया है। इन अपराधों और हिंसक घटनाओं को कम करने में समाज और सरकार के लोग सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। उनका कवरेज दूरदर्शन और रेडियों में नहीं होता है। ग्रामीण विकास की झलक देखने और सुनने को नहीं मिलती है। किसान, समाज के कमज़ोर वर्गों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को कम करने संबंधी सरकारी और गैरसरकारी कदमों की जानकारी नहीं दी जाती है। मेरा मंत्री महोदया से प्रश्न है कि क्या मंत्री जी इस संबंध में कदम उठाएंगी और प्रसार भारती को अपने मंत्रालय को कहेंगी और प्रसार भारती में सुधार लाने हेतु उनका मंत्रालय उचित राय दे?

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, पहले तो मैं माननीय सदस्य का उत्तर देते हुए आपके माध्यम से सदन को यह बता दूं कि प्रश्न में जो सरकारी मीडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है, दूरदर्शन और आकाशवाणी अब सरकारी मीडिया नहीं रहे हैं। प्रसार भारती संगठन

बनने के बाद दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों प्रसार भारती के मातहत आ गए हैं और उसी के अन्तर्गत स्वायत्त रूप से काम करते हैं। जो प्रश्न की भाषा उन्होंने बताई है, यह सवाल समाचारों से संबंधित है और समाचार तथ्य-परख होते हैं। जो घटना नहीं घटती है, उसी की जानकारी समाचार में दी जाती है। इसीलिए उसमें ग्रामीण विकास की झलक या हिंसक घटनाओं की झलक, अगर कहीं हिंसा की वारदात हुई है तो निश्चित तौर पर वह समाचारों में स्थान पाएगी। लेकिन अगर कोई घटना नहीं हुई तो कोई गढ़कर समाचार नहीं दिखाएंगे। अगर समाचारों के अलावा बाकी कार्यक्रमों के बारे में माननीय सदस्य जानना चाहते हैं तो पहले भी सदन में मैं यह चिंता उनकी सांझी कर चुकी हूं कि प्रसार भारती के नीचे काम करने वाले दूरदर्शन और आकाशवाणी इस बात में लगे हैं कि इस तरह के कार्यक्रम कम से कम हों और हिंसा व अनावश्यक यौन की कोई भी चीजें दूरदर्शन पर न दिखायी जाएं।

श्री राम नाथ कोविन्द: सभापति महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है।

प्रेस काउंसिल आफ इंडिया के अध्यक्ष जस्टिस सावंत ने पिछले कुछ समय पूर्व पिछले 10 वर्षों के अंतराल में पत्रकारों को जो सरकारी सुविधाएं प्रदान की गयी हैं उनका एक व्यापक अखिल भारतीय स्तर पर अध्ययन करने हेतु एक समिति बनायी थी। उस समिति की जो रिपोर्ट आई उसमें एक बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य उभरकर आया कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री और जो इस देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं उन्होंने प्रेस काउंसिल के एक मेम्बर को दो लाख रुपए उस मेम्बर का जो पाकेट आर्गेनाइजेशन था उसको चलाने के लिए दिए। महोदय, इसके साथ ही जो सुविधाएं और उजागर हुई..

श्री सभापति: यह क्वेश्चन इससे अराइज नहीं होता है। This supplementary does not arise out of the present question.

श्री राम नाथ कोविन्द: इससे मेरा मंत्री जी से सवाल यह है कि यह रिपोर्ट क्या उनके संज्ञान में आई है?

श्री सभापति: नहीं, नहीं इसके लिए सवाल अलग से करना पड़ेगा। यह इस क्वेश्चन से अराइज नहीं होता है।

श्री ईश दत्त यादव: यह राजनीतिक दृष्टिकोण है।

DR. M.N. DAS: Mr. Chairman, Sir, may I take this opportunity to put a question to the hon. Minister of Information and Broadcasting? Sir, this is a question which may appear to be very delicate but an answer is required by many viewers, like many of us. The question is very simple. Has this new dispensation any hidden agenda to focus through Doordarshan by way of news and views, certain principles, programmes, personalities, and many more to be added? It is quite usual that any Government would like to highlight its achievements and hide its failures. That is true. But the intention of the viewers is to know from Doordarshan the latest developments, happenings, occurrences, incidents and events taking place all over the globe and, throughout the country, and also at the State level, concerning the common people. Is there any comprehensive policy to deal with this? We know that the Prasar Bharati Corporation has been given some kind of autonomy. But who controls whom? Any way that is a different issue. All we want to know is—is there any comprehensive plan or programme before this very important Ministry? After all, you are supposed to enlighten the entire population of India. You have also to focus India to the outside world. Is there any comprehensive programme to focus India to the outside world; to bring international news to India and to highlight the Indian news and the local State news?

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, मुझे लगता है कि दास साहब ने मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं सुना। अगर सुनते तो कम से कम अपने प्रश्न का पहला भाग नहीं पूछते। मैंने प्रारंभ में ही यह कहा कि अब दूरदर्शन और आकाशवाणी सरकारी मीडिया नहीं रहे। जब कोई मीडिया सरकारी रहा ही नहीं तो वह किसी भी सरकार के हिडेन या रिटन एजेंडा को कर कैसे सकता है। आपने स्वयं कहा कि प्रसार भारती पूर्ण रूप से स्वायत्त है।

The Prasar Bharati Corporation is enjoying full autonomy, not some kind of autonomy.

जहां तक न्यूज का सवाल है सरकार का कोई दखल, तिनका भर भी दखल दूरदर्शन के समाचारों में,

आकाशवाणी के समाचारों में नहीं है। इस बात को पूरी दृढ़ता से मैं सदन के फर्श पर कहना चाहती हूं।

जहां तक आपने इंटरनेशनल न्यूज और स्टेट न्यूज की बात की है, उसके बारे में पहले से ही एक कंप्रीहेंसिव पालिसी है। तीन बहुत प्रतिष्ठित एजेंसियां है जिनसे हम न्यूज लेते हैं और अपनी न्यूज आगे इंटरनेशनल लेविल पर दिखाने के लिए भी दो हमारे स्पेशल टेलीकास्ट होते हैं, सुबह 9.00 बजे से 9.15 तक और 11.45 से 12.00 बजे तक। पहला बुलेटिन अंग्रेजी का और दूसरा बुलेटिन हिंदी का है जो केवल स्पेशली इंटरनेशनल कंट्रीज के लिए होता है। 32 देशों में दिखाया जाता है। उसके अलावा हमारा दोपहर का बुलेटिन दो बजे वाला, रात का बुलेटिन साढ़े आठ और नौ बजे वाला भी इंटरनेशनल ट्रांपोंडर्स पर दिखाया जाता है। उसके लिए पहले से कंप्रीहैंसिव पॉलिसी तैयार है और उस नीति में किसी परिवर्तन की आवश्यकता महसूस नहीं होती।

SHRI S. NIRAIKULATHAN: Hon. Chairman, Sir, it is correct that the Prasar Bharati is an autonomous body. But the Executive cannot escape from its responsibility to the Parliament. The Chennai Doordarshan is partisan and at times anti-Government. The news of release of money for medical aid from the Prime Minister's Relief Fund on the recommendations of the MPs was blacked out from the news bulletin by the Chennai Doordarshan. But the DD makes it a point to show the release of funds from the Chief Minister's Relief Fund. While private functions are given coverage, Government functions attended by the Union Ministers are blacked out. Therefore, what steps will the Government take to set this right and to discharge its responsibility to the Parliament and to the people?

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, माननीय सदस्य ने चेन्नई दूरदर्शन पर पक्षपात का आरोप लगाया है और एक खास घटना का उल्लेख किया है। मैं चाहूंगी कि अभी इसी प्रोसीडिंग्ज में से उनकी इस घटना का उल्लेख लेकर हम प्रसार भारती को लिख देंगे, सदन की भावनाओं से अवगत करा देंगे और उसकी जांच करा कर मैं माननीय सदस्य को बता दूंगी।

श्री जीवन राय: माननीय सभापति जी, 25 जुलाई को राष्ट्रीय सहारा में मंत्री जी का नाम लेकर एक न्यूज आई। उस न्यूज में कहा गया है कि मंत्री जी का पकड़ दूरदर्शन की न्यूज में ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है, मैं तो एक्रीडिक्ट नहीं कर रहा हूं इस न्यूज को, लेकिन मेरी एक शिकायत है कि 3 जुलाई को इस गेट पर एक धरना हुआ था लैफ्ट एम०पी० लोगों का और करीब 70 एम०पीज़ ने भाग लिया था। हमने देखा कि दोपहर के न्यूज में तो आया लेकिन शाम और रात के न्यूज में वह चला गया। बाद में मैंने छान-बीन किया तो मेरे को बताया गया कि इस न्यूज को विदड्रा करने के लिए ऊपर से आर्डर था। इसके ऊपर भी कोई ऊपर है या और किसी का मैं रिक्वेस्ट करुंगा कि इसकी छान-बीन करके बताएं?

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, मुझे बहुत खुशी है कि माननीय सांसद् ने यह प्रश्न पूछा, कम से कम मुझे अपनी सफाई देने का मौका तो इस सदन में मिला। जहां तक राष्ट्रीय सहारा की खबर का ताल्लुक है वह खबर केवल निराधार ही नहीं बल्कि पूर्ण रूप से असत्य है। उसमें जिस अधिकारी के ट्रांस्फर के बाबत लिखा है उसका नाम भी मैंने पहली बार केवल उस अखबार से जाना। वह पूर्ण रूप से असत्य खबर छपी और अगले ही दिन चूंकि मेरी अपने प्रैस ब्रीफिंग थी, इसलिए मैंने स्वयं तमाम पत्रकारों के सामने यह बात कही कि अगर किसी का नाम लेकर खबर छापते हैं तो कम से कम पत्रकारिता के धर्म का तकाजा है कि आप उस मंत्री से पूछ तो लीजिए या तो आप नाम से खबर मत छापिए, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि सुषमा स्वराज का दखल बढ़ा तो कम से कम पूछ लीजिए कि वह आदेश मेरे हैं या नहीं। दूसरी बात की जानकारी तो मुझे आपसे अब मिली है। किससे कहा कि ऊपर से आदेश है? जो बात आप कह रहे हैं कि धरने में आपको नहीं दिखाया गया इस तरह की शिकायतें रोज़ मुझे मिलती हैं, डिफ्रेंट पोलिटीकल पार्टीज़ से मिलती हैं और एक ही मेरा जवाब होता है कि समाचार भारती के समाचार विंग को किसी तरह का दखल-अंदाज़ी का फोन मैं नहीं करुंगी, बात मैं नहीं करुंगी। प्रसार भारती स्वायत्तता से जो भी निर्णय ले रहा है वह समाचार में दिखाता है। इसलिए मैं यहां खड़े हो कर कहना चाहती हूं कि अगर किसी अधिकारी ने उनसे यह कहा कि वह ऊपर का आदेश है और वह उस ऊपर के आदेश का अर्थ लगा रहा है कि वह मेरा आदेश है तो यह बिल्कुल गलत है। मुझे उस अधिकारी का नाम बताइये ताकि मैं स्वयं जांच करके बता सकूं कि यह बात गलत है।

श्री जीवन राय: इसीलिए न्यूज़ नहीं दिखाई गई है। यह आपके दूरदर्शन का ...**(व्यवधान)** हुआ धरना। इसकी भी छान-बीन की जाए।

श्री बालकवि बैरागी: माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि प्रसार भारती आपको भी विरासत से मिली है आपके इस मंत्रालय में आने के पहले प्रसार भारती लागू हो चुका था, प्रसार भारती से आज भी वही शिकायतें सदन को भी हैं और जनता को भी है, जो शिकायतें आप जब मंत्री पद पर नहीं थीं उस वक्त आपको भी वही शिकायतें थीं, उधर वाले भी वही बात किया करते थे, तब फिर मेरा पहला प्रश्न तो यह है कि आपके इस पद पर आने के पश्चात् इस सरकार के बनने के बाद प्रसार भारती की गुणवत्ता में आपने क्या यहां पर सुधार किया? और क्या सुधार हुआ आप की नजर में, एक प्रश्न और दूसरा प्रश्न यह कि मेरा बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन है कि जो इधर से प्रश्न उठा है, उसका आधार है। एक तो दरवाजे पर हुआ डिमांस्ट्रेशन, दूसरा 3 तारीख को मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के हजारों किसानों ने प्रदर्शन किया और गिरफ्तारियां दीं। माननीय सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से जानना चाहता हूं, उस समाचार का एक अंश तो ठीक है, लेकिन एक फ्रेम भी दूरदर्शन पर नहीं दिखाया गया है। यह भारत वर्ष के इतिहास में इतनी बड़ी घटना हुई है। आप प्रसार भारतीय से अपने आप को अलग कर के सदन में जिम्मेदारी लेती भी है और बेचती भी हैं। तो माननीय सभापति महोदय, आप सुनिश्चित कीजिए कि इन की जिम्मेदारी क्या है? फिर आप इस बात का उत्तर देंगी कि आखिर गुणवत्ता में आप ने कौनसा सुधार प्रकट कर दिया है, यह मैं जानना चाहता हूं?

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, जहां तक प्रसार भारती का संबंध और उस की गुणवत्ता का संबंध है मैं आप के माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि प्रसार भारती जो वर्ष 1990 में बना और 1997 में नोटीफाइ हुआ, उस में ऑटोनोमी के साथ-साथ अकाऊंटेबिलिटी यानी स्वायत्तता के साथ जवाबदेही का सिद्धांत भी शामिल था **....(व्यवधान)....** मैं बता रही हूं, मुझे जवाब पूरा कर लेने दें। वह बिल नोटीफाइ तो हुआ, उस के बाद जब उसे लागू किया गया तो तत्कालीन सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर के जितने भी उस में जवाबदेही के आयाम थे, उन को समाप्त कर दिया। **(व्यवधान)**.... मैं बता रही हूं, आप मुझे जवाब पूरा नहीं करने दे रहे। उस अध्यादेश में 22 सदस्य 22 सदस्यीय पार्लियामेंटरी कमेटी का प्रावधान था, वह खत्म कर दिया। उस में एक ब्राडकास्टिंग काउंसिल का प्रावधान था, जोकि जनता के लिए एक मंच था तमाम अश्लीलता वगैरा की शिकायतें करने का, वह खत्म कर दिया गया। ऐसे ही कई और आयाम थे, जो खत्म कर दिए गए है। सभापति जी, जहां तक मेरा प्रश्न है, मेरे आने के बाद मैंने उस आर्डिनेंस को लैप्स हो जाने दिया और उस के बाद एक बिल प्रसार भारती का लोक सभा में इंट्रोड्यूस कर दिया। वह बिल अभी तक चर्चा के लिए नहीं रखा गया। मैंने पिछले मंगलवार को उस बिल को चर्चा के लिए रखाया तो कहा कि उस को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाना चाहिए। उसके लिए मैंने अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की कि स्टैंडिंग कमेटी को मत भेजिए, लोक सभा में चर्चा करा के राज्य सभा में चर्चा के लिए भेजिए। वह प्रसार भारती बिल यदि पारित हो जाता है तो गुणवत्ता का थोड़ा-बहुत फर्क नहीं पूरे प्रसार भारती में जवाबदेही का सिद्धांत वापिस लौटेगा और कोई व्यक्ति इस जवाबदेही से बच नहीं सकेगा जिसका कि अभाव आज हम लोग आपस में महसूस कर रहे हैं। इसलिए जहां तक मेरा सवाल है, मैंने अपना कर्म कर दिया, अगला कर्म संसद को करना है।

SHRI MD. SALIM: Mr. Chairman, Sir, it is a question of propriety Whatever transpired between the Minister and the Speaker in his Chamber, she cannot use this forum to divulge them.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Sir, I am only stating the facts. *(Interruptions)*.

SHRI MD. SALIM: Normally, we do not discuss the proceedings of the Lok Sabha here. The Minister, under the guise of answering, is initiating a debate ..*(Interruptions)*.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: I am not initiating a debate. Again and again, I am being asked by the hon. Member...*(Interruptions)*.

SHRI MD. SALIM: Sir, it is a question of propriety. You have to protect us. She is free to answer a pointed question. But she cannot debate what transpired between her and the Speaker in the Speaker's Chamber. She

should not be allowed to make a point. She is referring to the discussions held with the Speaker.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: I am only giving the facts which are known even to the Press.

सभापति जी, बार-बार संसद सदस्य मुझे पूछ रहे हैं कि आप ने क्या किया और खास पूछ रहे हैं गुणवत्ता लाने के लिए क्या किया...(व्यवधान)...

DR. BIPLAB DASGUPTA: Sir, Mr. Salim has raised a question on which we require the ruling of the Chair. Without the ruling of the Chair, the Minister cannot continue. Mr. Md. Salim has sought your ruling, Sir.

MR. CHAIRMAN: That is all right. *(Interruptions)*. I do not want to ...*(Interruptions)*.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, मुझे बार-बार स्पेसिफिक सवाल पूछा गया है कि प्रसार भारती की गुणवत्ता के लिए आप ने क्या किया। प्रसार भारती की गुणवत्ता के लिए मैं ने जो बिल सदन में पेश किया है, मैं ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, इसका आभास मैं संसद सदस्य को करा रही हूं और चूंकि बार-बार वह पूछ रहे हैं कि मैंने क्या किया और वह भी प्रसार भारती की गुणवत्ता के बारे में क्या किया, तो तथ्य की जानकारी अगर नहीं दूंगी तो सवाल का जवाब होगा नहीं। इसलिए कहीं जिम्मेदारी से बचने का प्रश्न नहीं है। जो जिम्मेदारी मुझ पर थी, मैंने पूरी कर दी। अगर संसद सदस्य वह बिल पारित कर देंगे, जवाबदेही का सिद्धांत वापिस लौट आएगा।

श्री मोहम्मद आज़म खान: चेयरमेन सर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा, यह सारी शिकायतें तो आई है, प्रसार भारती के बारे में आपने फरमाया कि वह बिल्कुल आजाद है।*

|(जितना भी.....(व्यवधान)....

†[شری محمد اعظم خان: چیئرمین سر- میں آپکے مادھیم سے یہ جاننا چاہونگا- یہ ساری شکایتیں تو آئی ہیں- پرسار بھارتی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ بالکل آزاد ہے- جتنا بھی... ...مداخلت...]

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: * Sir, this is highly objectionable. ...*(interruptions)*... It should not go on record. ...*(interruptions)*...

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Why do you compare like that

It should not go on record, Sir. ...*(interruptions)*... It should not go on record. How can he bring him in? ...*(interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I agree with you. I agree with you. The hon. Member, by making ...*(interruptions)*... Please sit down. The hon. Member, by referring to Rashtrapatiji, has denigrated this House, and this House cannot allow this thing. Please withdraw this.

श्री मोहम्मद आज़म खान: सर, मैं बिल्कुल वापस लेता हूं। बिल्कुल वापस लेता हूं, बिल्कुल वापस। मेरी यह मंशा नहीं है। जाहिर है, राष्ट्रपति जी के लिए यह मंशा नहीं है। मैं तो अपनी बात के वजन के लिए अर्ज कर रहा था। ...(व्यवधान)...

†[شری محمد اعظم خان: سر میں بالکل واپس لیتا ہوں- بالکل واپس- میری یہ منشا نہیں ہے- ظاہر ہے راشٹرپتی جی کے لئے یہ منشا نہیں ہے- میں تو اپنی بات کے وزن کیلئے عرض کر رہا تھا... مداخلت...]

†[] Transliteration in Abrabic script.

श्री संघ प्रिय गौतम: आप अपनी बात में राष्ट्रपति जी को क्यों ला रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please ask your question.

श्री मोहम्मद आज़म खान: नहीं, कोई इस तरह का सवाल नहीं है। ...(**व्यवधान**)... सर, मेरा सवाल यह है कि ...(**व्यवधान**)...

†[شری محمد اعظم خان: نہیں کوئی اسطرح کا سوال نہیں ہے ..."مداخلت" سر میرا سوال یہ ہے کہ ..."مداخلت"..]

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: He does not have any question to ask! He himself is saying so. ...(*interruptions*)...

श्री राज बब्बर: इनका मंशा यह था

* * *

*। ...(**व्यवधान**)...

श्री ओंकार सिंह लखावत: सर, इसमें आरएसएस कहां से आ गया? ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: देखिए, प्लीज, प्लीज। मुझे दुख है कि श्री राज बब्बर ने कहा, *

It is again a reference to what Azam Khan said about the President. It is an interconnected reflection. So, I expunge both of them. I expunge both of them. आप सवाल पूछिए, मोहम्मद आज़म खान जी।

श्री मोहम्मद आज़म खान: सर, मेरा सिर्फ इतना सवाल है आपके माध्यम से, कि दूरदर्शन सुबह से रात तक हम सभी देखते हैं, क्या कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि दूरदर्शन के कार्यक्रम देखने के बाद यह अहसास हो कि यह दूरदर्शन सेकुलर देश का दूरदर्शन है?

†[شری محمد اعظم خان: سر۔ میرا صرف اتنا سوال ہے آپ کے مادھیم سے کہ دوردرشن صبح سے رات تک ہم سبھی دیکھتے ہیں۔ کیا کوئی ایسی ویوستھا کریں گے کہ دوردرشن کے پروگرام دیکھنے کے بعد یہ احساس ہو کہ یہ دوردرشن سیکولر دیش کا دوردرشن ہے۔]

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष व्यवस्था कराने की जरूरत है। दूरदर्शन है ही सेकुलर दूरदर्शन और सेकुलर के तौर पर ही दूरदर्शन काम कर रहा है।

SHRI O. RAJAGOPAL: Sir, now the hon. Minister has stated that autonomy has been given ...(*interruptions*)...

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Sir, that should also be expunged. The country is secular. How can we make it secular? ...(*interruptions*)... This should be expunged. He is making allegations against the country. India is secular. ...(*interruptions*)... It was secular and it will remain secular.

SHRI O. RAJAGOPAL: Sir, the hon. Minister has stated that automony has been given. At the same time, she has mentioned that in the matter of presenting news etc., even false news, totally baseless news has been broadcast. Now I would like to know whether there is any system by which it can be monitored. I have received a number of complaints that the Doordarshan Stations at Trivandrum etc. have totally become anti-Government of India establishments. ...(*interruptions*)...

SHRI VAYALAR RAVI: It is not correct, Sir. ...(*interruptions*)...

SHRI O. RAJAGOPAL: I would like to know whether there is any provision to see that such planted news is not broadcast. ...(*interruptions*)... Now this Doordarshan Station at Trivandrum and some other Stations have become totally

†[ ]Transilteration in Arabic Script

anti-Government of India establishments. I would like to know whether the Minister will take some initiative to hold an inquiry.

श्रीमती सुषमा स्वराजः सर, मैं संसद सदस्य द्वारा किए गए तथ्य के उल्लेख की निश्चित जांच कराऊंगी।

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Sir, actually my question is about the reporting of the proceedings of this House. ...*(interruptions)*... My question is about the reporting of the proceedings of this House. Sir, the other day, the Cauvery issue was raised in the House. I don't know whether the Minister had actually seen the reporting in the evening, both in the news and in the Rajya Sabha Samachar. Only one State had been highlighted. The other States were totally blacked out. She can verify the tapes. She can find out. This is one thing. The second is what the position of this House is when the Minister stands up and says, "I am helpless!"

There are instances—I am not denigrating anybody—when information or programmes about Rashtrapatiji were blacked out or where taken up at the end. Rashtrapatiji should have precedence over others in the news. But unfortunately, it is taken up at the end and sometimes it is blacked out. If the Minister stands up and says, "I have no authority on this", what is our position in Rajya Sabha?

श्रीमती सुषमा स्वराजः सभापति जी, माननीय संसद सदस्य ने कहा है, वे निश्चित सत्य होगा। मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि एक बात पर आश्वस्त रहिए कि ब्लैक आऊट किसी ऊपरी सरकारी आदेश के कारण नहीं हुआ लेकिन यह हुआ है तो निश्चित इस बात की हम लोग जांच कराएंगे कि क्यों हुआ है?

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Casual worker in Delhi Doordarshan Kendra

*583. SHRI MALTI SHARMA: will the minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether a large number of casual workers like floor assistant, production assistant, tailors etc. are working in Delhi Doordarshan Kendra for the last 10-18 years and they are given only 10 days' job in a month;

(b) whether wages to be paid to Casual Production Assistants have been revised recently from Rs. 4000/- to 7500/-;

(c) if so, the reasons for denying this hike to other casual workers;

(d) whether some posts of tailors are lying vacant and if so, the reasons for not regularising casual tailors against those vacancies; and

(e) what action Government propose to take to regularise them and by when?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): (A) yes, Sir. these Casual workers come under Casual Artist Category and their allowances are not decided upon by Prasar Bharti.

(b) Yes, Sir. This revision is applicabler to Central Production Centre, Delhi only and was decided by Prasar Bharti.

(c) Regarding others, Prasar Bharti will have to take the required decision.

(d) Action to regularise one post of Tailor in Doordarshan Kendra, Delhi has been initiated by Prasar Bharti.

(e) It is for Prasar Bharti to take a decision in this regard.